

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940
No. 29]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSHA 25, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

सा.का.नि.29(अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2019 है ।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त् होंगे।
- 2 राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में, नियम 71 में:-
- (i) उपनियम (3) के खंड (ख) में ''केंद्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''प्रादेशिक निदेशक'' शब्द रखे जाएंगे ।
- (ii) उपनियम (4) में "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं.1/30/2013-सीएल.V] के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 21 जुलाई, 2016, अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 716(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और तारीख 20 दिसंबर, 2016, अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1159(अ) और तारीख 05 जुलाई, 2017 अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 840(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

292 GI/2019 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2019

G.S.R.29(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Company Law Tribunal Rules, 2016, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Company Law Tribunal Rules, 2016, in rule 71:-
 - (i) In sub-rule (3), in clause (b) for the words "Central Government" the words "Regional Director" shall be substituted.
 - (ii) In sub-rule (4), for the words "Central Government" the words "Regional Director" shall be substituted.

[F.No. 1/30/2013-CL. V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 716(E), dated the 21st July, 2016 and amended *vide* notification number G.S.R.1159(E) dated the 20th December, 2016 and *vide* notification number G.S.R. 840 (E) dated 5th July, 2017.